फा.सं. 12019/01/2021-रा.भा.(का-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

***

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 19 .04.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अनुवादकों का पैनल गठित किए जाने के संबंध में।

राजभाषा विभाग ने राजभाषा कार्यानूवयन में आ रही समस्याओं को देखते हुए अनुवादकों का पैनल गठित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए पात्र आवेदकों से आवेदन आमंत्रित है। आवेदन के लिए अपेक्षित शर्ते निम्नवत हैं :-

1. पात्रता

(i) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त राजभाषा अधिकारी।

(ii) अनुवाद कार्य से जुड़े अन्य सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी।

(iii) गैर सरकारी अनुवादक, जो किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था के साथ जुड़कर अंग्रेजी – हिंदी एवं विलोमत: अनुवाद कर रहे हैं।

2. शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (गैर सरकारी आवेदकों के लिए)

(i) भारतीय अनुवाद परिषद या समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अंग्रेजी – हिंदी अनुवाद कार्य में डिप्लोमा अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय/संस्था से समकक्ष डिप्लोमा।

(ii) स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एवं हिंदी का अध्ययन किया है।

(iii) स्नातक स्तर पर हिंदी का अध्ययन किया हो और स्नातकोत्तर स्तर पर अंग्रेजी एवं विलोमतः।

3. मानदेय

चयनित अनुवादकों का मानदेय राजभाषा विभाग के दिनांक 15 मई, 2018 की का.ज्ञा. संख्या 13034/02/2018-रा.भा./नीति के समकक्ष होगा, जो कि पूर्व निश्चित 300 रूपए प्रति पृष्ठ की अधिकतम दर है। (पताका 'क')

4. कार्य की प्रकृति

चयनित अनुवादकों की कार्य की प्रकृति पूर्णत: मंत्रालयों/विभागों की आवश्यकता के अनुसार होगी। राजभाषा विभाग द्वारा चयन किए जाने के उपरांत मंत्रालय/विभाग/अन्य संस्थान अनुवादकों से कार्य हेतु सीधा संपर्क करेंगे। पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार मंत्रालय/विभाग द्वारा उन्हें कार्य आदेश दिया जायेगा।

किसी विषय को लेकर राजभाषा विभाग द्वारा कोई मध्यस्थता अथवा सुनवाई नहीं की जायेगी।

5. अपेक्षाएं

मंत्रालय के कार्य आदेश स्वीकार करने के उपरांत उक्त अनुवादक से यह अपेक्षा रहेगी कि वह कार्य के संबंध में दिए गए निदेशों को देखते हुए समयबद्धता का ध्यान रखें। हार्ड प्रति में अंतिम अनुवाद कार्य प्रस्तुत करने से पूर्व किए गए अनुवाद का पुनरीक्षण एवं टंकण करवा कर सॉफ्ट कॉपी में मंत्रालय/विभाग/अन्य संस्था को उपलब्ध करवाएं। गूगल अनुवाद स्वीकार्य नहीं होगा। समयबद्धता एवं परिशुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए।

6. मंत्रालयों/विभागों/अन्य संस्थानों के लिए निर्देश

(i) चयनित अनुवादक को कार्य आदेश दिए जाने के समय मंत्रालय/विभाग/अन्य संस्थान अनुबंध में ही जीएसटी सहित मानदेय की सूचना उन्हें उपलब्ध कराएं।

(ii) अंतिम अनुवाद प्राप्त होने के 3 माह के अंदर अनुवादक को भुगतान किया जाना अपेक्षित होगा।

(iii) मंत्रालय/विभाग/अन्य/संस्थान अनुवाद दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी अनुवादक की सुविधा के हिसाब से उपलब्ध करवाएं।

7. चयन प्रक्रिया

(i) सभी आवदेन राजभाषा विभाग के ई-मेल rajbhasha-anuwad@mha.gov.in पर किये जायेंगे।

(ii) प्राप्त सभी आवेदन अंतिम तिथि के उपरांत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (सीएचटीआई) को योग्यता/पात्रता के अनुसार चयनित करने के लिए सौंप दिए जाएंगे।

(iii) चयन हेतु सीएचटीआई द्वारा एक लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(iv) चयनित 50 अभ्यथियों की सूची सीएचटीआई, राजभाषा विभाग को सौंपेगा।

8. आवेदन की अंतिम तिथि

इस कार्यालय ज्ञापन के जारी किए जाने के 60 दिन के भीतर प्राप्त आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा।

9. अस्वीकरण

यह पूर्णत: अनुबंधपरक चयन होगा। किसी प्रकार की नियमित सरकारी नौकरी का आश्वासन नहीं होगा।

यह एक अस्थायी पैनल होगा जिसमें 1 वर्ष के उपरांत आवश्यकता अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है। अगर कार्य की गुणवत्ता को लेकर भविष्य में शिकायत आती है तो उस अनुवादक को हटाया भी जा सकता है।

19/04/2022

(बी.एल.मीना)
निदेशक (का.)
दूरभाषा: 23438129

संलग्नक: यथोक्त

प्रति:

1- सभी मंत्रालय/विभाग/अन्य संस्थान।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1- सचिव, राजभाषा के प्रधान निजी सचिव।

2- संयुक्त सचिव के निजी सचिव।

3- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी) को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु

का.ज्ञा. सं. 13034/2/2018-रा.भा./नीति दिनांक 15 मई, 2018

विषयः- अनुवाद (अंग्रेजी से हिंदी एवं हिंदी से अंग्रेजी) कार्य के लिए देय पारिश्रमिक/मानदेय में वृद्धि के संबंध में ।

कृपया राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 13011/1/2009/रा.भा./नी.सं. दिनांक 11.11.2011 का अवलोकन करें, जिसके तहत अनुवाद कार्य के लिए पारिश्रमिक की दरें 250/- रूपए प्रति हजार शब्द तय की गई थी। विभाग द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त दरों की समीक्षा की गई और यह महसूस किया गया कि इस समय पारिश्रमिक की उक्त दर व्यावहारिक नहीं है।

2. अनुवाद कार्मिकों की भारी कमी का सामना कर रहे मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा आउटसोर्सिंग आधार पर आवश्यक और तात्कालिक अनुवाद कार्य कराने के लिए पारिश्रमिक को तर्कसंगत बनाने के मुद्दे पर राजभाषा विभाग द्वारा अनुवाद कार्य कराने हेतु रू.300/- (रूपए तीन सौ) प्रति पृष्ठ की अधिकतम दर से अनुवाद की दरें निर्धारित करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमति प्रदान की जाती है। यह दर निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अधीन होगीः-

रूपए 300/- प्रति पृष्ठ की दर रिजर्व दर के रूप में होगी। यदि अनुवाद कार्य के लिए मैन पावर की आवश्यकता होती है तो उसे GFR – 2017 के प्रावधानों के अनुसार आउटसोर्स किया जाएगा ।

बजट की उपलब्धता तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति ली जाएगी ।

3. अनुवाद की दरों के संबंध में, अन्य नियम एवं शर्तें, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 13011/1/2009/रा.भा./नी.सं. दिनांक 11.11.2011 के अनुरूप होंगी ।

4. यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होगा ।

5. इसे आंतरिक वित्त - 2 अनुभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 08.05.2018 के अ.वि.टि.सं. 3423357/वित्त-2/2018 में दी गई सहमति से जारी किया जाता है।